न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2016 (आर्म्स एक्ट)
पंजीयन दिनांक 20.04.2016

श्री राधाकिशन पिता प्रताप जी काछी निवासी काछीया खेडी थाना कपासन जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

बनाम

राज्य जरिये सहायक लोक अभियोजक, जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कपासन, बन्दूक लाईसेन्स नम्बर 1194 दिनांक 12.06.2010 से निरस्त करने

उपस्थिति : 1– श्री सुरेशचन्द्र शर्मा, अधिवक्ता, अपीलान्ट
2– अभियोजन अधिकारी, राजकीय पैरोकार

निर्णय

दिनांक 19.12.2017

अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन के समक्ष अनुज्ञापत्र एवं बन्दूक नवीनीकरण हेतु पेश की जिस पर पुलिस थाना कपासन से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् नवीनीकरण किये जाने का आदेश दिया जिससे थाना कपासन से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अपीलान्ट को सूचना दिये बिना न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने का इन्द्राज कर अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जो विधि अनुकुल नहीं होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.06.2010 अपास्त कर अपीलान्ट के नाम जारी अनुज्ञापत्र को बहाल रखाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन से संबंधित पत्रावली तलब की गई। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन द्वारा तलबीदा पत्रावली के संबंध में पत्रांक 406 दिनांक 10.10.2017 प्रस्तुत करने तथा राज्य पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी के उपस्थित होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन के समक्ष बन्दूक का अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किया जिस पर पुलिस थाना कपासन से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् नवीनीकरण किये जाने हेतु आदेश दिया तथा थाना कपासन से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने का इन्द्राज करते हुए अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौखिक जानकारी दी गयी कि आपके विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण का निर्णय होने के पश्चात् पुनः अनुज्ञापत्र के संबंध में विचार किया जावेगा। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण दिनांक 06.06.2014 को पारित हुआ, उसके पश्चात् आवेदन करने पर सत्यापन रिपोर्ट चाही हो दिनांक 02.03.16 को प्राप्त हुई उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् भी बन्दूक का लाईसेन्स नवीनीकरण नहीं कर यह निर्देश दिया कि लाईसेन्स ही निरस्त कर दिया है जिससे उक्त आदेश दिनांक 12.06.2010 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायालय आपके समक्ष अपील प्रस्तुत करने से पूर्व अपीलान्ट के विरूद्ध भा. द. सं. में दर्ज प्रकरण को निर्णित कराने की सद्भावना रही जिससे उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। अपीलान्ट द्वारा लाईसेन्स निरस्ती के आदेश की अपील समय पर नहीं करने का पर्याप्त एवं माकूल कारण रहा है फिर भी धारा 5 कानून मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.06.2010 को निरस्त कर अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को पुनः बहाल रखाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि अपीलान्ट का अनुज्ञा पत्र दिनांक 12.06.2010 को ही निरस्त किया जा चुका है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही थी तथा अपीलान्ट उक्त अपील में यह बात स्वयं स्वीकार करके आया है कि उसके विरूद्ध भा. द. सं. का प्रकरण विचाराधीन होने से उक्त अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है। अतः अपीलान्ट के विरूद्ध भा. द. सं. का प्रकरण विचाराधीन होने तथा लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने तथा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारीज फरमावें।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अध्ययन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 5 के आवेदन का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को निस्तारण

कराने की सद्भावना का कथन किया है। चूंकि अपीलान्ट को उसका अनुज्ञापत्र निरस्त होने की जानकारी दिनांक 12.06.2010 से ही थी तथा अपील मेमों मे भी अपीलान्ट ने उक्त तथ्य को स्वीकार किया है। अपीलान्ट द्वारा मात्र न्यायालय में विचाराधीन भा. द. सं. के प्रकरण को निस्तारण कराने की सद्भावना का अंकन कर देने से 6 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने की इतनी लम्बी अवधि को कण्डोन नहीं किया जा सकता।

साथ ही अपीलान्ट ने अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज भी इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि अपीलान्ट के विरूद्ध भा. द. सं. के विचाराधीन प्रकरण में निस्तारण होने अथवा अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो।

निष्कर्षतः लाईसेंस/अनुज्ञप्ति नियमों की अनदेखी एवं उनकी अवहेलना करने तथा लोक शान्ति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारीज की जाती है तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2010 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)